

अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईत्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-257/2017

1. घनश्याम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
-वादी

बनाम्

1. बरजी देवी पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
2. सत्यपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जयनारायण शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री रायसिंह भाखर प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर आबादी भूमि को छोड़ते हुए निम्नानुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है:-

(क)-वादी संख्या 1 घनश्याम को प्राप्त आराजी:-चक नं.14 डीबीएल के खाता संख्या 60 में प.नं. 187/366 मु.नं. 56 कि.नं.3 ता 5/0.759 अनकमाण्ड, प.नं. 188/366 मु.नं. 57 के कि.नं. 1 ता 3/0.759 है.4/.126,8 ता 10/0.759 है यानि 1.644 है. इस प्रकार कुल किता 10/2.403 है. अनकमाण्ड।
(ख)-प्रतिवादी संख्या 1 बरजी देवी को प्राप्त आराजी:- चक नं.14 डीबीएल के खाता संख्या 60 में प.नं. 188/363 मु.नं. 4 कि.नं 1-9-10/0.759,11/.101,12/. 253,19/.102,कुल 1.215 है. अनकमाण्ड, प.नं. 187/363 मु.नं. 5 के कि.नं. 3/0.253 है.4/1/.127, 5/1/.127,6/1/.126, 7/1/.126,14/1/. 126,15/.253,25/1/.202,प.नं. 188/366 मु.नं. 57 कि.नं. 4/1/.127,5/2/. 253 यानि .380 है. कुल किता 16 योग 2.935 है. अनकमाण्ड।

उपर्युक्तानुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को खाता खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर व खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 5:11:18 अदा करें।

बसब मेरे दस्तखा एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5:11:18 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी